/

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्ंयाः— 127 / 2023 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांकः—11 / 09 / 2023
निर्णय दिनांकः— 09 / 07 / 2025

अनवान

1. हिम्मतसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1. रणवीरसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमंद

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 1 कि खातेदारी भूमि ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ कि जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या 819 आराजी नम्बर 2450 / 625 रक्बा 2.12 बीघा रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज थी। जिसके 0.5617 हैक्टेयर थे। एवं हमारे आपसी बंटवारा होने से मूल आराजी नम्बर 2450 / 605 रक्बा 2.12 बीघा का जमाबन्दी में नये आराजी नम्बर 2450 / 6025 / 2 रक्बा 1.02 बीघा प्रार्थी के रखा एंव आराजी नम्बर 2450 / 625 रक्बा 1.10 बीघा विपक्षी रणवीरसिंह के रखा एवं इसके पश्चात बनने वाली जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 में जमाबन्दी में भू—प्रबन्ध अधिकारीयों व कार्मचारीयो की

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

भूल से उक्त आराजी नम्बर के क्षेत्रफल 2.12 बीघा भूमि थी जिसमें से हमारे आपसी बंटवारा होने से उक्त पुराने आराजी नम्बर के नये आराजी नम्बर 1121 / 1 रक्बा 1.10 बीघा अर्थात 0.3200 हैक्टर विपक्षी रणवीरसिंह के होना चाहिए था जबकि वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है, एवं विपक्षी के वर्तमान आराजी नम्बर 1121 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर जो विपक्षी रणवीरसिंह के नाम पर है वह प्रार्थी के नाम पर दर्ज होना चाहिए था जो नही किया गया। जिसका भी नक्शा भी छोटा कर दिया जबकि पूराने नक्शे के अनुसार नया नक्शा होना चाहिए था। एवं प्रार्थी पुराने नक्शे की आकृति व क्षेत्रफल के अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी नम्बर व क्षेत्रफल में जो नये आराजी नम्बर 1121 क्षेत्रफल 0.2400 हक्टेयर विपक्षी रणवीरसिंह के नाम पर भूल से दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के नाम पर होना चाहिए एवं आराजी नम्बर 1121 / 1 रक्बा 1.10 बीघा विपक्षी के नाम पर होना चाहिए जो भूल से प्रार्थी के नाम पर दर्ज की दिया गया। भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों ने भूमि के आराजी नम्बर की परिर्वतन कि सूचना खातेदारो को नहीं दी गई। मन मकसुद तरीक से बिना किसी विधिक अधिकार व कानूनी कार्यवाही के भूमि के नक्शे को कम करने की लापरवही की है। उक्त भूमि पूर्व में हिम्मतसिंह, रणवीरसिंह पिता गोविन्दसिंह के खातेदारी थी। एवं बंटवारा हो जाने से आराजी नम्बर 1121 / 1 रक्बा 1.10 रणवीरसिंह के नाम पर होना चाहिए एवं आरजी नम्बर 1121 हिम्मतसिंह क नाम पर होना चाहिए था। उपरोक्त वर्णित साबिक आरजी नम्बर 2450 / 625 रक्बा 2.12 बीघा था। जो रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शे में दर्ज था, उसको तत्कालीन पटवारी द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश के एवं बिना किसी क्षेत्राधिकार के मौजुदा राजस्व जमाबन्दी में आराजी नम्बर दर्ज करने में भूल से गलती हुई जो वर्तमान जमाबन्दी में चली आ रही है। उक्त भूमि हिम्मतसिंह पिता गोविन्दसिंह निवासी लसानी के नाम दर्ज है, आराजी नम्बर 1121 / 1 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टर वह विपक्षी रणवीरसिंह के नाम होनी चाहिए। एंव आराजी नम्बर 1121 क्षेत्रफल 0.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

2400 हैक्टर भुमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज होनी चाहिये प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि पर लगातार बिना किसी रोक—टोक के काबिज होकर काश्त कर रहे है, और उसने काफी खर्चा कर एवं दिन—रात मेहनत कर भूमि को काबिल काश्त बनाया है। एंव उक्त भुमि में कुआ खुदा हुआ है वह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत सुधार करवाने का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की भूमि ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी साबिक आराजी नम्बर 2450 / 625 रक्बा 2.12 बीधा था उसी अनुसार नक्शा बना हुआ होकर दर्ज है। प्रार्थी व विपक्षी का कब्जा काश्त है। एव भुमि का बंटवारा होने से एंव नक्शे में पूर्व में तरमीम थी किन्तु तत्कालीन भू—प्रबन्ध कर्मचारी अधिाकरीगण की भूल से राजस्व रेकार्ड नक्शे की आकृती कम कर नक्शे में भी स्थान परिवर्तन कर दिया गया है भू—प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से रेकार्ड में मिस्टेक हुई है. जिसे सुधारने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पश किया जा रहा है। वर्तमान आराजी नम्बर जो प्रार्थी के हिस्से में आयी उसमें प्रार्थी द्वारा पूर्व में कुआ खुदा हुआ था उसका भी नये नक्शे में अंकन नहीं है अब तरमीम करवायी जावे। भूमि पर लोन वगैरहा लेने स पटवार मण्डल से भूमि की नकले निकलवाई तो मुझे पता चला कि उक्त भूमि के नक्शे में व राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज का पता चला। रिकॉर्ड को दुरस्त करने का प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान जमाबन्दी व नये नक्शे के आकार में भी संशोधन कर पूरानी जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल 2.12 बीघा का बंटवारा होने से व पूराने नक्शे के अनुसार जिस स्थान पर आकृती बनी उसी अनुसार नये नक्शे संशोधन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी जो गत जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में दर्ज आराजी नम्बर 2450 / 625 रक्बा 2.12 बीघा अर्थात 0.5617 हैक्टर दर्ज थी। जो शामलाती दर्ज थी एवं आपसी बंटवारा होने से नये नम्बर वर्तमान वर्तमान में 1121 क्षेत्रफल 0. 2400 हैक्टर जो

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

रणवीरसिंह के नाम पर दर्ज है वह प्रार्थी के नाम पर दर्ज होनी चाहिये व उसमें कुआ खुदा हुआ है का नक्शे में अंकन नहीं है व उक्त क्षेत्रफल की वर्तमान नक्शे में आकृती छोटी अर्थात कम करदी गयी है नक्शे में आकृति छोटी है उसे पैमाने के अनुसार सही कर प्रार्थी के नाम दर्ज कि जावे। व प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1121 / 1 क्षेत्रफल 0.3200 हैक्टर को विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज करने व नक्शा भी शुद्ध करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब मय मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ग्राम लसानी जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 819 में आराजी नंबर 2450 / 625 रकबा 2. 12 बीघा दर्ज थी। जरिए नामांतरण संख्या 2711 विभाजन से आराजी नंबर 2450 / 625 रकबा 2. 12 बीघा में से नवीन आराजी नंबर 2450 / 625 / 2 रकबा 1.02 बीघा हिम्मतसिंह पिता गोविंदसिंह राजपूत सा देह के एवं आराजी नंबर 2450 / 625 / 1 रकबा 1.10 बीघा रणवीर सिंह पिता गोविंद सिंह राजपूत सा देह के नाम दर्ज हुई। नवीन सेटलमेंट के आराजी नंबर 1121 रकबा 0.24 हेक्टेयर रणवीर सिंह पिता गोविंद सिंह के नाम गलत दर्ज हो गया पुराने आराजीयात 2450 / 625 / 2 के नवीन आराजियात 1121 रकबा 0.24 हिम्मतसिंह पिता गोविंद सिंह राजपूत सा देह के नाम दर्ज होना चाहिए। नवीन सेटलमेंट के आराजी नंबर 1121 / 1 रकबा 0.32 है हिम्मतसिंह पिता गोविंद सिंह के नाम गलत दर्ज हो गया पुराने आराजीयात 2450 / 725 / 1 के नवीन आराजीयात 1121 / 1 रकबा 0.32 रणवीर सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत सा देह के नाम दर्ज होना चाहिए। वर्तमान नक्शा में आराजी नंबर 1121 / 1 का जमाबंदी में अंकित रकबे से नक्शा बड़ा बना हुआ है एवं आराजी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

नंबर 1121 का जमाबंदी में अकन में से नक्शा छोटा बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया है

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 819 आराजी नम्बर 2450 / 625 रकबा 2.12 बीघा रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज थी। जिसके 0.5617 हैक्टेयर थे। एवं हमारे आपसी बंटवारा होने से मूल आराजी नम्बर 2450 / 605 रक्बा 2.12 बीघा का जमाबन्दी में नये आराजी नम्बर 2450 / 6025 / 2 रकबा 1.02 बीघा प्रार्थी हिम्मतसिंह एंव आराजी नम्बर 2450 / 625 रकबा 1.10 बीघा अप्रार्थी संख्या 01 रणवीरसिंह के नाम दर्ज किया गया परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान नवीन आराजी संख्या दर्ज किये गए। जिसमें नये आराजी संख्या 1121 / 1 रकबा 1.10 बीघा अर्थात 0.3200 हैक्टेयर भूमि जो अप्रार्थी संख्या 01 रणवीरसिंह के नाम दर्ज होनी थी वह भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गई। एवं अन्य आराजी संख्या 1121 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थी हिम्मतसिंह के नाम दर्ज होनी थी वह अप्रार्थी संख्या 01 रणवीर सिंह के नाम दर्ज हो गई एवं उक्त भूमि का नक्शा भी छोटा कर दिया गया है। प्रार्थी पुराने राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि पर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना न्यायहित में है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है:–

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, देवगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के नवीन आराजी संख्या 1121/1 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी संख्या 1121 रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि को सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किये जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदअनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि को सेटलमेन्ट से पूर्व अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)